मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश
कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ

परिपत्र संख्या :– 32 /गो0(1)परिपत्र/2019 दिनाँक– 17/10/2019

1– पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार,
लखनऊ/अयोध्या एवं गोरखपुर परिक्षेत्र।

2– उप महानिरीक्षक कारागार,
मेरठ/बरेली/कानपुर/आगरा/प्रयागराज/
वाराणसी परिक्षेत्र।

ऐसा संज्ञान में आया है कि परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागारों द्वारा अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कारागारों पर तैनात वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागारों को परिक्षेत्रीय कार्यालयों स्तर पर समीक्षा बैठक अथवा अन्य कतिपय कारणों के उन्हें कारागार से बुलाया जाता है, जिसकी पूर्व अनुमति मुख्यालय स्तर से प्राप्त नहीं की जाती है और न ही यथासमय अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि कारागार विभाग एक अतिसंवेदनशील विभाग है, जिसके अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक कारागार पर वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक की यथासम्भव कारागार पर उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर उपरोक्त के दृष्टिगत कारागार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाये जाने पर तत्समय कारागार की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है एवं किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने पर घटना के नियंत्रक हेतु यथासमय ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती है, और न ही उसकी सुस्पष्ट सूचना मुख्यालय को प्राप्त होती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कारागारों पर तैनात वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार को किसी कार्यवश परिक्षेत्रीय कार्यालय पर बुलाने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

16/10/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश